कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांक- स्था०/2025/237 दिनांक- 03/11/2025

-: आ दे श :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक पीआई/47 दिनांक 10.11.1970 व पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 20.09.2025 के अनुसरण एवं सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 नियम 52 एवं आदेश 45 नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, **अरूण कुमार अग्रवाल, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर** इस न्यायक्षेत्र के **राजाखेड़ा मुख्यालय** पर न्यायिक न्यायालयों के लिए दीवानी एवं दाण्डिक प्रकरणों के शपथ पत्रों के सत्यापन हेतु कलेण्डर वर्ष 2026 के लिए निम्न विधि व्यवसायियों को शपथ आयुक्त नियुक्त करता हूँ :-

शपथ आयुक्त (दीवानी)

क्र. सं.	अधिवक्ता का नाम	आयु	एनरोलमेंट नंबर	एनरोलमेंट दिनांक
1.	श्री उमाकान्त शर्मा	53 year	R/1258/2008	01-11-2008
2.	श्री होतम सिंह	51 year	R/856/2005	01-09-2005

शपथ आयुक्त (दाण्डिक)

क्र. सं.	अधिवक्ता का नाम	आयु	एनरोलमेंट नंबर	एनरोलमेंट दिनांक
1.	श्री असर्फी सिंह जादौन	41 year	R/1049/2024	19-04-2024
2.	श्री रूपसिंह	40 year	R/6003/2022	26-12-2022
3.	श्री पंकज जैन	45 year	R/2163/2009	04/10/2009

1. उपरोक्त शपथ आयुक्त निम्न निर्देशों की पालना करेंगे :-

(1) शपथ आयुक्त एक या अधिक रजिस्टर (रजिस्टर संख्यांक 6) रखेंगे जिसमें उनके समक्ष शपथ ग्रहण किए गए प्रत्येक शपथ-पत्र की बाबत् निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, यथा :-

(क) क्रम संख्यांक,
(ख) शपथ पत्र करने की तारीख और समय
(ग) मामले की विशिष्टियां जिसमें शपथ पत्र संबंधित है,
(घ) शपथ पत्र करने वाले व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां,
(ड) उसको शनाख्त करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां,
(च) संदत्त की गई फीस,
(छ) शपथ आयुक्त का नाम जिसके समक्ष शपथ पत्र शपथ ग्रहण किया गया,
(ज) शपथ आयुक्त के हस्ताक्षर और टिप्पणियां, यदि कोई हो

रजिस्टरों का संबद्ध न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा कालिकत: निरीक्षण किया जाएगा।

2. शपथ-पत्र पर शपथ ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि उस व्यक्ति का,

जिसके समक्ष शपथ-पत्र ग्रहण किया जाए व्यक्तिशः जानकार नहीं है, तो वह उसके किसी जानकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के समक्ष शनाख्त किया जाएगा, और ऐसे मामले में वह व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ-पत्र किया जाए, शपथ-पत्र के पाद-भाग में उस व्यक्ति का नाम, पता और वर्णन कथित करेगा जिसके द्वारा ऐसी शनाख्त की गई।

ऐसी पहचान उस व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है :-

(क) जो पहचान किए जाने वाले व्यक्ति से व्यक्तिशः परिचित है,

(ख) जिसका उसकी पहचान के बारे में युक्तियुक्त समाधान हो गया है।

परंतु पश्चात् कथित मामले में ऐसी पहचान करने वाला व्यक्ति शपथ पत्र के पाद भाग में निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा, ऐसी घोषणा पर उसकी उपस्थिति में इस प्रकार पहचान किए गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठा की छाप लगाने के पश्चात् हस्ताक्षरित करेगा, यथा :-

घोषणा का प्रारूप

मैं (नाम, वर्णन व पता) घोषणा करता हूं कि नीचे कथित आधारों पर मेरा समाधान हो गया है कि इस शपथ पत्र को करने वाला और स्वंय को क, ख, अभिकथित करने वाला व्यक्ति वहीं है, आधार.....

3. शपथ आयुक्त उनके स्वंय के व्यय पर, उस न्यायालय के निर्देशन के अधीन, जिसनें उन्हें कमिश्नर नियुक्त किया, बनाई गई प्राधिकारिक मुद्रा का स्वयं के लिए प्रबन्ध करेंगे। इसमें उस न्यायालय का नाम, जिसमें वह आयुक्त संलग्न है, उपदर्शित होना चाहिए और कमिश्नर के रजिस्टर में शपथ पत्र से संबंधित प्रविष्टि का क्रम संख्यांक और तारीख अभिलिखित किए जाने के लिए स्थान रखा जाना चाहिए। तब ऐसी मुद्रा को रखने वाला व्यक्ति शपथ आयुक्त का पद धारण करने से प्रविरत हो जाए तो मुद्रा न्यायालय को अभ्यर्पित कर दी जाएगी। यदि शपथ आयुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो शपथ आयुक्त की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

2. नियुक्त शपथ आयुक्त इस तरह समय का समायोजन करेंगे कि कम से कम दो शपथ आयुक्त मुख्यालय पर न्यायालय समय में सदैव उपस्थित रहेंगे। इस आशय का अभिवचन वे इस आदेश के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

3. नियुक्त शपथ आयुक्त अपने रजिस्टर को अगले माह की 5 तारीख या उस तारीख को अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को वरिष्ठ मुंसरिम/तहसील स्तर पर संबंधित न्यायालय के रीडर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

03/11/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांकः- स्था०/2025/5225-5229 दिनांकः- 03/11/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राज.उ.न्या.जोधपुर को सादर प्रेषित है।
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
3. अध्यक्ष, बार संघ, राजाखेड़ा
4. कम्प्यूटर लिपिक, जिला न्यायालय को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली

03/11/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर